	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-5-24	[illegible] पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है [illegible] पीठासीन अधिकारी राज्य कार्यवश [illegible] तशरीफ रखते है / अन्य कार्य मे व्यस्त है / [illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 1-7-24 को पेश हो।	
01-07-24	वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थीगण की तामील होकर डिलिवर्ड रिपोर्ट वकील प्रार्थी द्वारा पेश की गई है जो कि शामिल पत्रावली बाद में की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के उप नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पैरो० सरकार उप। पत्रावली जवाब सरकार हेतु दि. 30-08-24 को पेश हो।	
30-08-24	वकील प्रार्थी उप। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार हेतु दि. 10-10-24 को पेश हो।	
10-10-24	वकुलाय उप। पूर्व पत्रावली पूर्व दि. मे अप्रार्थी 1, 2 की ओर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने बाबत प्र.पत्र पेश किया है जो पत्रावली मे शा.मि. है। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस प्र.पत्र हेतु दि. 23-10-24 को पेश हो।	
23.10.24	वकुलाय उप०। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश न करने [illegible] बहस सुनी गई। प्रार्थी [illegible] न्याय हित में [illegible] पक्षकारों द्वारा [illegible] के संबंध में [illegible] पक्षकारों के मध्य होना अवगत कराया। प्रा०प० नं० 55/प्रा०प०/23 को अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित भूमि के संबंध में प्रा०प० इन्हीं	महेश शर्मा [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
	पक्षकारों के मध्य विचाराधीन हैं व इस प्रा०प० में विवादित आराजी के संबंध में रहन बयान न किये जाने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी की हुई है। दोनो पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि दोनों पत्रावली में विवादित भूमि तथा पक्षकार समान हैं। इसलिये दोनो पत्रावलियों को एक साथ चलाये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। चूंकि प्रा०प०नं. 51/प्रा०प०/23 जवाब के स्तर पर विचाराधीन हैं तथा प्रा०प० नं. 55/प्रा०प०/23 में T.I. जारी हो रखी है। अत: यह प्र.पत्रावली प्रा०प०नं. 55/प्रा०प०/23 के साथ समेकित की जाती है। ह. अपठनीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested